केन्द्रीय बैंक : कार्य एवं साख नियंत्रण
(Central Bank : Functions and Credit Control)

केन्द्रीय बैंक–

प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित एवं नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केन्द्रीय बैंक करता है। यह देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगाार, मूल्य–स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है। केन्द्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अमेरिका में यह 'फेडरल रिजर्व बैंक' इंग्लैण्ड में 'बैंक ऑफ इंग्लैण्ड' और भारत में यह भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नाम से जाना जाता है। केन्द्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्षस्थ (Apex) बैंक होता है। एम. एच. डी. कॉक के अनुसार 'केन्द्रीय बैंक वह होता हैं जो अपने देश की मौद्रिक व बैंकिग ढाँचे का सिरमौर होता है।'

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा–

केन्द्रीय बैंक को अनेक विद्वानों ने अपने–अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया है –

ए. सी. एल. डे के अनुसार :– ''केन्द्रीय बैंक वह बैंक है, जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर करने में सहायक होता हैं।''

सैम्यूलसन के अनुसार :– ''एक केंन्द्रीय बैंक, बैंकों का बैंक है, जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण करता है।''

इस प्रकार स्पष्ट है केन्द्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक व बैंकिग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती हैं।

भारत में उक्त भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अदा करता है। यह देश की सम्पूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है। साथ ही करेंसी जारी करने से लेकर बैंकिग संस्थाओं को अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसे एक शीर्ष बैंक अथवा केन्द्रीय बैंक के रूप में जाना जाता हैं।

केन्द्रीय बैंक के कार्य

केन्द्रीय बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

(1) करेंसी का निर्गमन
(2) बैंको का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता
(3) सरकार का बैंकर एवं सलाहकार
(4) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक
(5) अन्तिम ऋण दाता
(6) केन्द्रीय समाशोधन
(7) साख का नियमन एवं नियंत्रण

(1) करेंसी का निर्गमनः–

केन्द्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा (नोट) का निर्गमन एवं संचालन का कार्य प्रमुख रूप से करता है। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिससे नोटों में एक रूपता तथा विनिमय में सुविधा बनी रहती है। देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) का उपयोग किया जाता है, जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास जमा रखना पड़ता हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का देश में करेंसी संचालन पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण होता हैं।

न्यूनतम कोष प्रणालीः–

इस प्रणाली के अन्तर्गत भारत में रिजर्व बैंक अपने पास 115 करोड़ रुपये का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ सदैव रिजर्व में रखता हैं इस प्रकार दो सौ करोड़ रुपये का न्यूनतम कोष रिजर्व में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सीमा तक नोट जारी कर सकता है। भारत में 1956 से ही इस प्रणाली का उपयोग नोट निर्गमन हेतु किया जा रहा है।

(2) बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता :–

केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रिया–कलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिये केन्द्रीय बैंक समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करता है। बैंको के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने में यह निर्णयकर्ता की भूमिका अदा करता हैं। केन्द्रीय बैंक देश के बैंकिग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबधित बैंक को दिशा–निर्देश जारी करता है।

(3) सरकारी बैंकर, एजेन्ट एवं सलाहकार :–

केन्द्रीय बैंक देश की ऊँची विकास दर प्राप्त करने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है एवं जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है। भारत में इसी प्रकार रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक के रूप में सरकार के सलाहकार की भूमिका अदा करता है। देश की मौद्रिक नीति की घोषणा इसी प्रयोजन हेतु केन्द्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर की जाती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक :–

केन्द्रीय बैंक देश के लिये विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी होता है। यह विनिमय कोषों के संरक्षण के साथ–साथ भुगतान कोषों को संवर्धित करने का कार्य भी करता है। यह विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदायगी भी करता है। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाये रखने का कार्य भी केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है जिसके लिये 'अवमूल्यन' अथवा 'अधिमूल्यन' उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक सम्पादित करता है।

(5) अन्तिम ऋण दाता :–

केन्द्रीय बैंक देश का शीर्षस्थ बैंक होने के साथ – साथ अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए वित्तीय संकट की स्थिति में अंतिम ऋण दाता की भूमिका भी अदा करता है। अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों की एवज में तत्काल केन्द्रीय बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है।

(6) केन्द्रीय समाशोधन :–

केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषो का संरक्षक होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंको के लिये समाशोधन बैंक का कार्य भी करता है। व्यापारिक बैंको के आपसी लेन–देन इत्यादि का समाशोधन केन्द्रीय बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि का भुगतान किये खातों के माध्यम से हो जाते हैं। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि स्थानान्तरित करने में भी माध्यम बनता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानान्तरण हेतु केन्द्रीय समाशोधन का माध्यम बनता हैं।

(7) साख का नियमन एवं नियंत्रण :–

देश में मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य केन्द्रीय बैंक का होता है। देश में मुद्रा की कुल मात्रा और उसका चलन वेग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता हैं। साख का विस्तार या संकुचन करने के लिए केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे।

केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण हैं। व्यापारिक बैंक की साख निर्माण क्षमता को नियंत्रित करना आवश्यक होता हैं। देश में कीमत स्तर को स्थिर करना अर्थात मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन जैसी अस्थिरता को दूर करना केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना, स्थिरतापूर्वक आर्थिक वृद्धि करना देश में व्यापार के अनुकूल साख की मात्रा उपलब्ध कराना आदि।

(i) *मात्रात्मक उपाय* **(Quantitative Methods)** :–

इन उपायों के अपनाने से प्रत्यक्ष रूप से कुल साख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है किन्तु साख किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, अप्रभावित रहती है। ये उपाय केवल साख की मात्रा पर विशेष ध्यान देते हैं न कि साख की दिशा पर, जब देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की मात्रा का आधिक्य अथवा कमी हो जाती है तो केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा एवं लागत को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों को अपनाता है उन्हें मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय कहा जाता है। साख नियंत्रण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में अपनाये जाने वाले मात्रात्मक उपाय इस प्रकार हैं–

1. बैंक दर नीति :–

बैंक दर केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का सर्वाधिक प्रचलित उपाय है। इसका उपयोग कर केन्द्रीय बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ''बैंक दर वह है, जिस दर पर केन्द्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है।''

बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है भारत में यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती हैं तब केन्द्रीय बैंक 'बैंक दर' को बढ़ा देती है, जिससे व्यापारिक बैंक के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं, उसकी साख देने की क्षमता घट जाती हैं। इसके विपरीत साख का विस्तार करने के लिए बैंक दर घटा दी जाती है जिससे

व्यापारिक बैंक सस्ते ऋण केन्द्रीय बैंक से प्राप्त कर लोगों के लिए अधिक साख (ऋण) उपलब्ध करवा पाते हैं।

2. खुले बाजार की क्रियाऐं :–

केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्रिया को खुले बाजार की क्रियाऐं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में साख का नियमन करने हेतु केन्द्रीय बैंक इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम करनी होती है, तो केन्द्रीय बैंक अपने पास संचित प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को बेचना शुरू कर देता है, जिससे उनके पास नकद कोषों में कमी आती हैं और साख की मात्रा घटती है। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करती है तो बैंको के पास नकद कोषों में वृद्धि हो जाती है, जिससे बैंक अधिक ऋण स्वीकृत कर पाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है।

3. नकद कोषानुपात **(CRR)** *व वैधानिक तरलतानुपात* **(SLR)** *में परिवर्तन :–*

केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिये नकद कोषानुपात (CRR) व वैधानिक तरलतानुपात (SLR) दोनों उपकरणों का उपयोग करता है।

''व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात धनराशि के रूप में केन्द्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलतानुपात (SLR) कहते हैं।

इसी प्रकार 'बैंकिंग विधान के अनुसार बैंकों को अपनी कुल सम्पति का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल या नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे नकद कोषानुपात (CRR) कहते हैं।

जब केन्द्रीय बैंक को साख का विस्तार करना होता है तो उक्त दोनों अनुपातों को कम कर दिया जाता है एवं इसके विपरीत जब साख का संकुचन या कमी करनी होती है तो उक्त अनुपातों में वृद्धि कर दी जाती है।

(ii) *गुणात्मक उपाय* **(Qualitative Measures)** *:–*

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु कुछ गुणात्मक उपाय भी अपनाये जाते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता हैं। साख का प्रवाह अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्र की वरफ करने का प्रयास केन्द्रीय बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण रीतियों द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय इस प्रकार हैं–

1. चयनात्मक साख नियंत्रण :–

केन्द्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों के लिये चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं –

1. ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना।
2. विनिमय बिलो की ब्याज दरों/कटौती दरों में भिन्नता रखना
3. विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जाँच व नियंत्रण।
4. विलासिता पूर्ण वस्तुओं के ऋण की अलग से किस्त निर्धारण करना।

2. साख की राशनिंग :–

इसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक के द्वारा भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग (अधिकतम सीमा निर्धारण) कर दी जाती हैं। यह सीमा बैंक के अनुसार अलग – अलग निर्धारित की जा सकती है। साख की राशनिंग निम्न तरीकों से की जा सकती हैं–

- किसी बैंक के लिये बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को पूर्णतया समाप्त करना।
- सभी बैंकों के लिये बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को सीमित कर देना।
- बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों अथवा व्यवसायों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा अथवा कोटा निश्चित कर देना।

उपरोक्त सभी उपायों के अतिरिक्त भी केन्द्रीय बैंक अन्य उपायों के माध्यम से साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है, जो कि इस प्रकार हैं –

3. नैतिक दबाव :–

इसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह व मार्ग दर्शन प्रदान करता है और इसी के द्वारा उनकी साख निर्माण नीति को नियमित करने का प्रयास करता है। केन्द्रीय बैंक अपने अधीनस्थ व्यापारिक बैंकों को सद्भाव व नैतिक अनुनय से भी अपनी साख नियंत्रित करने के लिए दबाव बना सकता हैं। अतः यह एक सहज एवं महत्वपूर्ण उपाय है।

4. प्रचार :–

बाजारीकरण के इस युग में विज्ञापनों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक देश का केन्द्रीय बैंक इस हेतु अपनी–अपनी पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल, बुलेटिन इत्यादि प्रकाशित करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों, समसामयिक आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाता हैं। केन्द्रीय बैंक का यह उपाय भी साख नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है।

5. प्रत्यक्ष कार्यवाही :–

केन्द्रीय बैंक द्वारा उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि बैंक इसकी नीति का पालन नहीं करते और बाजार विफलताएँ होती प्रतीत हों तो इसे ऐसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि यह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। ऐसी कठोर कार्यवाही के तहत दोषी बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा से वंचित कर सकता है। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए किये उपायों में इसे सबसे कठोर कार्यवाही माना जाता हैं। अतः उक्त उपाय व्यवहार में कम ही प्रयोग में लिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक सफल साख नियंत्रण करने के लिए मात्रात्मक एवं चयनात्मक साख नियंत्रण उपायों का एकीकृत एवं उचित समायोजन करता हैं। जहाँ एक ओर मात्रात्मक उपाय प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते है वहीं चयनात्मक विधियाँ साख की दिशा को निर्धारित करती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। भारत में बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। तत्पश्चात 1937 में इसे मुंबई स्थानान्तरित कर दिया गया। तब तक यह निजी स्वामित्व में था। सन् 1949 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन एवं संचालन एक केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका ढाँचा इस प्रकार है–

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड

↓

गवर्नर

↓

उप गवर्नर

निदेशक

↓

कार्यपालक निदेशक

↓

प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

↓

प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक

↓

मुख्य महाप्रबन्धक

↓

महाप्रबन्धक

↓

उप महाप्रबन्धक

↓

सहायक महाप्रबन्धक

↓

प्रबन्धक

↓

सहायक प्रबन्धक

↓

सहायक स्टॉफ

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई है।

उक्त अधिनियम के तहत् रिजर्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता हैं। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

गठन :– बोर्ड में नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होता है।

सरकारी निदेशक :– पूर्णकालिक अवधि के लिये

:– एक गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर

गैर सरकारी निदेशक :– सरकार द्वारा नामित

:– विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी

:– चार निदेशक, चार स्थानीय बोर्डों में से एक प्रत्येक से

रिजर्व बैंक के कार्य :–

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

मुद्रा जारीकर्ता :– अर्थव्यवस्था में आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट व सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से करेंसी जारी करता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की करेंसी रुपया है जिसका संकेत ₹ है। परिचालन योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता हैं। भारत में एक रुपये का नोट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

मौद्रिक प्राधिकारी :– देश की अर्थव्यवस्था के लिये मौद्रिक नीति तैयार करता है; उसका कार्यान्वयन और निगरानी भी करता है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना होता है।

वित्तीय प्रणाली का विनियामक :– बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाये रखना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक बैंकिंग परिचालन के लिये विस्तृत मानदण्ड निर्धारित करता हैं, जिसके अन्तर्गत देश की बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली कार्य करती है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक :– विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता हैं। इसी के साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास हेतु कार्य करता है।

विकासात्मक भूमिका :– राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करता हैं। विभिन्न

क्षेत्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार वित्तीय मजबूती प्रदान करता है।

संबंधित कार्य :– उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अनेक अन्य कार्य भी सम्पादित करता है जो इस प्रकार हैं –

सरकार का बैंकर :– भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है उनके लिये एक बैंकर का कार्य भी करता है। वित्तीय संकट की स्थिति में रिजर्व बैंक भारत सरकार की आर्थिक सहायता भी करता है।

बैंकों का बैंकर :– भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों को नियमित करता हैं। देश में मौद्रिक आधार परिवर्तित करने के लिए समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता हैं। रिजर्व बैंक अधीनस्थ बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।

सूचना प्रकाशित करना :– रिजर्व बैंक मुद्रा, साख तथा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रकाशित करता हैं। रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक व मासिक अवधि में प्रकाशित होते हैं–

वार्षिक प्रकाशन :– भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका।

मासिक प्रकाशन :– भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति :–
(Monetary Policy of Reserve Bank of India)

मौद्रिक नीति से अभिप्राय मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियमन एवं नियंत्रण करने की नीति से है। आधुनिक समय में देश की आर्थिक तरक्की में मुद्रा एवं साख का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में मौद्रिक आवश्यकता के अनुरूप मुद्रा एवं साख की मात्रा में उचित प्रबंध एवं नियमन करने की आवश्यकता होती है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक अपने केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जारी करता है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं–

रेपो दर :– रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है, जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक दैनिक लेन–देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है। केन्द्रीय बैंक बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध करवाता है, यह ओवरनाईट कहलाता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंको की तरलता घटाने के लिए करता है, जिसके तहत रेपो दर बढ़ा देता है।

रिवर्स रेपो दर :– रिवर्स रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से हैं, जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक जमाओं की एवज में अदा करता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता सीमित करने के लिए करता है। रिवर्स रेपो बढ़ाने से बैंकों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो जाने से बैंक अपनी जमाएं बैंक में बढ़ा देते हैं।

नकद कोषानुपात (Cash Reserve Ratio):- रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का शीर्षस्थ बैंक है। अतः सभी सदस्य बैंकों को अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है। इसे ही नकद कोषानुपात (CRR) कहते हैं। रिजर्व बैंक इसी कोषानुपात में वृद्धि करके सदस्य बैंकों के साख–सृजन की क्षमता को कम कर देता हैं। इससे देश में साख का संकुचन हो जाता है किन्तु जब यह नकद कोषानुपात में कमी कर देता हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में साख का प्रसार हो जाता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) :– भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों को अपनी कुल नकद जमाओं का एक निश्चित अनुपात जमा कोष के रूप रखने के लिए निर्देशित करता है, जिसे सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) कहते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को कम करके देश में बैंकों द्वारा साख का विस्तार कर सकता है तथा दूसरी तरफ देश में साख की मात्रा घटाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देता हैं। इस प्रकार वैधानिक तरलता अनुपात भी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

इस प्रकार रिजर्व बैंक ने 'मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास' के लक्ष्य को बनाये रखने के लिए नियंत्रित साख विस्तार की नीति का पालन किया हैं।

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में तुलना

देश की अर्थव्यवस्था में उसके केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथापि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्य और कार्यों में भिन्नता पाई जाती है, फिर भी देश की मौद्रिक एवं बैकिंग व्यवस्था में दोनो संस्थाऐ अहम जिम्मेदारी निभाती हैं। केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्य और कार्यों की तुलना हम निम्नानुसार कर सकते हैं–

1. व्यापारिक बैंको का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि केन्द्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य मौद्रिक एवं बैकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना होता है।
2. व्यापारिक बैंक अपनी व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख निर्माण करती हैं जबकि केन्द्रीय बैंक नोट निर्गमन के माध्यम से साख नियंत्रण करता हैं।

3. व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं जबकि केन्द्रीय बैंक सरकार व व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।

4. व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से जमाएं स्वीकार करती है जबकि केन्द्रीय बैंक ग्राहकों से प्रत्यक्ष लेन–देन स्वीकार नहीं करता है।

5. व्यापारिक बैंक, केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी मौद्रिक एवं साख नीति का अनुपालन करते हैं जबकि केन्द्रीय बैंक सरकार का सलाहकार तथा बैकों का बैंक होता है।

6. व्यापारिक बैंकों में ग्राहक अपनी इच्छानुसार राशि जमा करा सकता है जबकि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात केन्द्रीय बैंक में जमा रखना अनिवार्य होता है।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारिक बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करते है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- केन्द्रीय बैंक के दो प्रमुख कार्य– करेंसी का निर्गमन, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता
- केन्द्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था हैं जो मौद्रिक व बैंकिग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है।
- मात्रात्मक उपाय को अपनाने से प्रत्यक्ष रूप से कुल मुद्रा की पूर्ति एवं साख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता हैं, किन्तु साख किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, अप्रभावित रहता है।
- साख नियंत्रण हेतु गुणात्मक उपाय भी अपनाये जाते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है।
- बैंक दर वह हैं, जिस दर पर केन्द्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है।
- व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात धनराशि के रूप में केन्द्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं।
- बैंकों को अपनी कुल सम्पति का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल या नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे नकद कोषानुपात कहते हैं।
- साख की राशनिंग के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक के द्वारा भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग (अधिकतम सीमा निर्धारण) कर दी जाती हैं। यह सीमा बैंक के अनुसार अलग–अलग निर्धारित की जा सकती है।
- प्रत्यक्ष कार्यवाही :– केन्द्रीय बैंक द्वारा उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि बैंक इसकी नीति का पालन नहीं करते और बाजार विफलताएँ होती प्रतीत हों तो इसे ऐसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि यह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

(1) बैंक दर से क्या तात्पर्य है –
(अ) जिस पर व्यापारिक बैंक उधार देते हैं।
(ब) जिस पर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है ।
(स) महाजनों द्वारा बैंकों को जिस दर पर उधार दिया जाता है।
(द) बैंक जनता को जिस दर पर उधार देता है।

(2) निम्नलिखित में से कौन सा साख नियन्त्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है –
(अ) साख राशनिंग (ब) नैतिक दबाव
(स) खुले बाजार की क्रियाऐं (द) प्रत्यक्ष कार्यवाही

(3) केन्द्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है –
(अ) नोट निर्गमन करना
(ब) जनता से सीधा धन जमा करना
(स) जनता को ऋण देना
(द) उपर्युक्त सभी

(4) भारत का केन्द्रीय बैंक है –
(अं) भारतीय स्टेट बैंक (ब) भारतीय रिजर्व बैंक
(स) यूनियन बैंक (द) सिंडीकेट बैंक

(5) एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं–
(अ) गवर्नर (ब) प्रधानमंत्री
(स) वित्त सचिव (द) वित्त मंत्री

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1– केन्द्रीय बैंक की परिभाषा लिखिए।
2– बैंक दर से क्या अभिप्राय है?
3– साख की राशनिंग से आप क्या समझते हैं?
4– भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम लिखिये।
5– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक मासिक बुलेटिन का नाम लिखिये।

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1– केन्द्रीय बैंक के नोट निर्गमन के कार्य को समझाइये।
2– केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के लिये अपनाये जाने वाले परिमाणात्मक उपाय लिखिये।
3– केन्द्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष कार्यवाही को समझाइये।

4– भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल को एक फ्लो चार्ट से समझाइये।

5– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित कोई चार वार्षिक प्रकाशनों के नाम लिखिये।

निबंधात्मक प्रश्न :–

1– केन्द्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

2– केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

3– भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपकरणों को विस्तार से समझाइये।

4– केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में कार्यों के आधार पर तुलना कीजिए।

उत्तर तालिका

1	2	3	4	5
ब	स	अ	ब	स